हृदय :

विरासत शहर विकास और संवर्द्धन योजना

के

लिए

दिशानिर्देश

शहरी विकास मंत्रालय

भारत सरकार

जनवरी, 2015

हृदय

(विरासत शहर विकास और सवंर्द्धन योजना)

दिशानिर्देश

---

1. स्कीम की आवश्यकता

भारत समृद्ध और विविध प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संसाधनों से संपन्न है। तथापि, अभी ऐसे संसाधनों का उनके इष्टतम लाभों के लिए पता लगाया जाना है । भारतीय शहरों और कस्बों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संसाधनों को स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं और महत्वकांक्षाओं के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था, शहरी आयोजना, आजीविका, सेवा सुलभता और क्षेत्रों में अवसंरचना मुहैया कराने जैसे प्रमुख शहरी विकास संबंधी विषयों से अलग पूर्व में संरक्षित करने के प्राय: प्रयास किए जाते रहे हैं। शहरों के विरासत विकास का संबंध कुछ स्मारकों के निर्माण और संरक्षण से नहीं है लेकिन इसका संबंध समग्र शहर के विकास, इसके नियोजन, इसकी मूलभूत सेवाओं, इसके समुदायों के बेहतर जीवन स्तर, उनकी अर्थव्यवस्था और आजीविका, सफाई, सुरक्षा, इसके मूल स्वरूप का पुनरूद्धार और इसकी प्रकृति के स्पष्ट प्रकटीकरण से है।

वर्ष 2006 से, शहरी विकास मंत्रालय ने भारत के विरासत शहरों के विकास पर जोर देते हुए विभिन्न क्षमता निर्माण पहलें की हैं । शहरी विरासत का संरक्षण प्राय: शहरी नगर नियोजन प्रक्रियाओं/यंत्रों और स्थानीय अर्थव्यवस्था और सेवा सुलभता पहलुओं से संबद्ध न करते हुए किया गया है। विरासत क्षेत्रों को नजरअंदाज किया जाता है, इनमें जलापूर्ति, सफाई, सड़कों आदि जैसी अपर्याप्त बुनियादी सेवाओं और अवंसरचनाओं का अम्बार लगा है। शौचालय, साइनेज, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुख-सुविधाएं नहीं हैं । शहरी विरासत परिसंपत्तियों और भू-दृश्य के वित्त पोषण और प्रबंधन के लिए अनेक संस्थाओं और अस्पष्ट नियामक ढ़ांचे के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों की कमजोर क्षमता ने इन विरासत शहरों का प्रबंधन करने की प्रमुख चुनौतियां पैदा की हैं।

इन शहरों को जीवंत, प्रतिस्पर्धी बनाने और कुछ उल्लिखित चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से कुशल शिल्पकार और परंपरागत अर्थव्यवस्था की शक्ति को उभारते हुए पर्यटन और विरासत क्षेत्र में असीमित संभावना का मूल्यांकन करने के लिए एक नियोजित

दृष्टिकोण आवश्यक है। इससे स्थानीय रूप से उपलब्ध ज्ञान, संसाधन और कौशल के माध्यम से स्थानीय आर्थिक विकास की आधुनिक अवधारणा का सहज सामंजस्य भी हो सकेगा।

प्रस्तावित हृदय स्कीम भारत में कुछ विरासत शहरों के एकीकृत, समावेशी और सतत विकास के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान करेगी । हृदय ने आजीविका, कौशल, सफाई, सुरक्षा, सुलभता और सेवा सुलभता पर जोर देते हुए एक समावेशी और एकीकृत रूप में शहरी आयोजना/आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाते हुए शहरी विकास के भारत के दृष्टिकोण में प्रतिमान स्थापित किया है।

मंत्रालय की अन्य स्कीमों के माध्यम से जल, सफाई सुविधाओं आदि के लिए शहरी स्तर पर आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तथापि, स्कीम में अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जो शहर की प्रमुख अवसंरचना के साथ विरासत सुविधाओं को संबद्ध करेगी। कार्यान्वयन के लिए व्यापक दृष्टिकोण परियोजना आधारित होने के बजाय कार्यक्रम आधारित होगा और तदनुसार स्कीम स्वयं को बाध्य नहीं करेगी अथवा प्रस्तावित कार्यकलापों पर शर्तें निर्धारित नहीं करेगी लेकिन यह शहर की आवश्यकता और मांग के आधार पर होनी चाहिए।

2. स्कीम विवरण:

विरासत शहर के सौन्दर्यपरक आकर्षक, सुलभ, सूचनाप्रद और संरक्षित पर्यावरण को प्रोत्साहित करके शहर का अद्वितीय स्वरूप परिलक्षित करने के लिए इसके मूल स्वरूप का संरक्षण और पुनरूद्धार करना । शहर की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए सफाई, सुरक्षा, पर्यटन, विरासत पुनरूद्धार और आजीविका पर विशेष ध्यान देकर समग्र जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विरासत शहरों का कार्यनीतिक और नियोजित विकास करना।

3. स्कीम की कार्यनीति:

- यह केन्द्र सरकार से शत-प्रतिशत वित्तपोषण की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है।
- शहरों के लिए विरासत प्रबंधन योजना तैयार करना और इस स्कीम के अंतर्गत सहायता का लाभ लेने हेतु निर्धारित परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करना अपेक्षित होगा।

- राष्ट्रीय मिशन निदेशालय/शहर मिशन निदेशालय द्वारा पीडब्ल्यूओ /एसपीवी/ सीपीएसयू/राज्य पैरा स्टेटल/प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से एचएमपी और डीपीआर तैयार की जाए। पीडब्ल्यूओ/एसपीवी/सीपीएसयू/राज्य पैरास्टेटल/प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन द्वारा परियोजनाओं का निष्पादन किया जाएगा और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मिशन निदेशालय की सिफारिश पर निष्पादन एजेंसियों को धनराशि आबंटित की जाएगी।
- परियोजना की अवधि दिसंबर, 2014 से शुरू होकर 4 वर्ष तक है।
- एनआईयूए को हृदय स्कीम के लिए राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के रूप में पदनामित किया गया है और यह मिशन निदेशालय के एक सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
- राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा शहर परियोजना प्रबंधन इकाई की अधिप्राप्ति की जाएगी और यह शहरी मिशन निदेशालय के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

4. स्कीम के उद्देश्य

हृदय का प्रमुख उद्देश्य विरासत शहर के मूल स्वरूप को सरंक्षित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न अवसर पैदा करके समावेशी विरासत संबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देना है। विशिष्ट लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

(क) विरासत संवेदी अवसंरचना की आयोजना, विकास और कार्यान्वयन।

(ख) ऐतिहासिक शहर के प्रमुख क्षेत्रों में सेवा सुलभता और अवसंरचना मुहैया कराना।

(ग) विरासत का संरक्षण और पुनरूद्धार जिनमें पर्यटक शहर के अद्वितीय स्वरूप के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं।

(घ) शहर आयोजना, विकास और सेवा प्रावधान और सुलभता के आधार के रूप में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सजीव और निर्मित विरासत शहरों की विरासत परिसंपत्ति सूची तैयार करना और दस्तावेज तैयार करना।

(ङ) पर्यटक सुविधाओं/सुख-सुविधाओं में सुधार करने में अद्यतन प्रौद्योगिकीयों के उपयोग सहित सार्वजनिक सुविधाओं, शौचालय, पानी का नल, पथ प्रकाश जैसी सफाई सुविधाओं का कार्यान्वयन और संवर्द्धन ।

(च) समग्र विरासत आधारित उद्योग के लिए स्थानीय क्षमता में वृद्धि करना।

(छ) पर्यटन और सांस्कृतिक सुविधाओं के बीच प्रभावी लिंकेज करना और प्राकृतिक तथा निर्मित विरासत का संरक्षण भी करना।

(ज) ऐतिहासिक भवनों की रेट्रोफिटिंग के लिए उचित प्रौद्योगिकियों सहित शहरी विरासत अनुकूलक पुनर्वास और अनुरक्षण करना।

(झ) अनुकूलक शहरी पुनर्वास के लिए प्रभावी सार्वजनिक निजी भागीदारी बनाना और प्रबंधन करना।

(ञ) हितबद्धियों के बीच आजीविकाओं के अवसर बढ़ाने के लिए प्रमुख भौतिक आर्थिक कार्यकलापों का विकास और संवर्द्धन। इसमें सार्वजनिक स्थल सुलभ कराने और सांस्कृतिक स्थलों का निर्माण करने सहित उनके लिए अपेक्षित कौशल विकास भी शामिल होगा।

(ट) आधुनिक आईसीटी टूल्स के उपयोग की शहरों में जानकारी देना और सीसीटीवी आदि जैसे आधुनिक निगरानी तथा सुरक्षा यंत्रों से शहरों को सुरक्षित करना।

(ठ) सुलभता बढ़ाना अर्थात् स्थानिक पहुंच (सड़क के साथ-साथ सार्वभौमिक डिजाइन) और बौद्धिक सहायता सुलभ कराना (अर्थात् डिजिटल विरासत और ऐतिहासिक स्थल/पर्यटक मानचित्र और मार्ग) ।

5. स्कीम की अवधि :

हृदय में राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में चुनिंदा विरासत शहरों के सुस्थिर विकास को सुनिश्चित करने के लिए योजना, विकास, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन जैसे प्रयास की कार्यनीति तय की जाती है । हृदय स्कीम की अवधि दिसंबर,2014 से प्रारंभ होकर चार वर्षों तक है ।

6. कवरेज एवं स्कोप :

हृदय स्कीम में निम्नलिखित 12 विरासत शहरों के विकास पर जोर दिया जाएगा :

1. अजमेर
2. अमरावती
3. अमृतसर

4. बादामी
5. द्वारका
6. गया
7. कांचीपुरम
8. मथुरा
9. पुरी
10. वाराणसी
11. वेलनकन्नी
12. वारंगल

परामर्श के पश्चात अतिरिक्त शहरों की तलाश की जाएगी ।

7. सांकेतिक घटक :

विरासत शहर का पुनरूद्धार करने के लिए स्कीम में व्यापक रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात **भौतिक अवस्थापना, सांस्थानिक अवस्थापना, आर्थिक अवस्थापना एवं सामाजिक अवस्थापना** पर जोर दिया जाएगा । परियोजना को सीधे अथवा निजी क्षेत्र सहित अन्य हितधारकों की सहायता से वित्तपोषित किया जा सकता है, तथापि हृदय के अंतर्गत घटकों की व्यापक सांकेतिक सूची नीचे दी गई है जिसे व्यापक मुख्य क्षेत्रों के तहत शहर की आवश्यकता के आधार पर आगे संशोधित किया जा सकता है ।

1. विरासत प्रबंधन योजना बनाने हेतु विरासत दस्तावेज एवं मानचित्रण

- शहर की विरासत परिसंपत्तियों की सूची बनाना (मूर्त एवं अमूर्त)
- मूर्त एवं अमूर्त विरासत रिकार्डिंग एवं दस्तावेज बनाना
- विरासत क्षेत्र में /आसपास अवस्थापना सेवा की प्रोफाइल बनाना
- सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत परिसंपत्ति का जीआईएस आधारित मानचित्रण
- संरक्षण /अनुकूल पुन:उपयोग योजना सहित विरासत प्रबंधन योजना तैयार करना

2. सेवा प्रावधान से संबंद्ध विरासत पुनरूद्धार

- विरासत/ऐतिहासिक क्षेत्रों, घाट क्षेत्रों, मंदिर/मस्जिद /बैसिलिका क्षेत्रों, कुंड का पुनरूद्धार एवं सुरक्षा /स्थापित्व/ संरक्षण इत्यादि के लिए आसपास के क्षेत्रों के अग्रभाग का सुधार ।
- विरासत स्मारकों का संरक्षण/पुर्नस्थापन एवं सामुदायिक तथा शहर स्तर पर सेवा प्रावधानों के साथ जोड़ना ।

- शौचालयों, पेयजल सुविधाओं, पार्किंग, ठोस कचरा प्रबंधन इत्यादि जैसी बेहतर स्वच्छता हेतु बुनियादी सेवाओं का प्रावधान ।
- जल एवं दूषित जल प्रबंधन एवं शोधन हेतु शहर अवस्थापना /ट्रंक के साथ लिंकेज ।
- हेरिटेज वाक, धार्मिक पथ, स्ट्रीट फर्नीचर का विकास जिसमें हैंगिग वायर्स, पोल और ट्रांसफार्मर्स की शिफ्टिंग शामिल है ।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला एवं त्यौहार ग्राउंड एवं संबद्ध अवस्थापना का विकास ।
- सिटी म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास ।
- विरासत क्षेत्र में सड़क /पाथवे, सार्वजनिक परिवहन एवं पार्किंग का सुधार जिसमें अंतिम मील की कनेक्टिविटी हेतु प्रावधान शामिल है ।
- पर्यटन आकर्षण के क्षेत्रों में पैदल पथ बनाना, सौर/बैटरी मुक्त वाहन ।

3. शहरी सूचना / ज्ञान प्रबंधन एवं कौशल विकास

- शहर योजना एवं समग्र विकास से जुड़े विरासत प्रबंधन हेतु स्थानीय क्षमता का सुदृढीकरण
- वेबसाईट, आईईसी एवं आउटरीच सामग्री का विकास ।
- सीसीटीवी कैमरा एवं वाईफाई का प्रावधान ।
- दिशा स्तंभ एवं सिग्नेज तथा डिजीटल सूचना केन्द्र
- टूर ऑपरेटरों एवं गाइडों, स्थानीय कलाकारों तथा महिला, उद्यमियो का कौशल विकास ।
- महिला प्रबंधित कॉटेज उद्योग सहित स्थानीय विरासत उद्योग विपणन, प्रोत्साहन एवं विकास, बाजार केन्द्र विरासत संवेदना निर्माण कोड एवं शहरी डिजाइन विनियम ।
- सिटी मैप एवं ब्रोसर्स, डिजीटल डिस्पले/सूचना बोर्ड, वाई-फाई एक्सेस जोन ।
- शहर विरासत अवस्थापना जैसे वेब पेज, विरासत संबद्ध मोबाइल अनुप्रयोग, साफ्टवेयर, विरासत संरक्षण अनुकूलन एवं प्रबंधन हेतु वेब आधारित इंटरफेस ।
- विरासत भवनों एवं सांस्कृतिक दृश्यों की छवि को संरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक एवं नए भवनों के लिए सूची एवं विवरणिका ।

8. समझौता ज्ञापन

(i) त्रिपक्षीय करार

परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए संबंधित यूएलबी, राज्यों एवं शहरी विकास मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे । करार में परियोजना की व्यापक रूपरेखा और प्रत्येक पक्ष अर्थात केन्द्र, राज्य एवं यूएलबी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा ।

(ii) **द्वि-पक्षीय करार**

कार्यकारी एजेंसियों की सेवाओं के उपयोग के लिए, राष्ट्रीय मिशन निदेशालय संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के साथ करार करेगा । करार में निबंधन और शर्तें निर्धारित होंगी जिनके अंतर्गत सेवाएं प्रदान की जाएंगी और सेवा की किस्म, भुगतान की शर्तें आदि निर्धारित होंगी ।

9. संस्थागत व्यवस्था

हृदय स्कीम की आयोजना, विकास और कार्यान्वयन शहरी विकास मंत्रालय के तत्वाधान में किया जायेगा और एनआईयूए द्वारा राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन यूनिट (एनपीएमयू) की भूमिका निभायी जायेगी । सांस्कृतिक, पर्यटन, जल संसाधन,आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालयों,योजना आयोग और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय के लिए और क्रियाकलापों का अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए पुष्ट और अन्योन्य क्रिया तंत्र बनाया जायेगा ताकि विकास सुनियोजित ढंग से हो । इसके लिए केन्द्र सतर पर उच्च अधिकारप्राप्त राष्ट्रीय अधिकारप्राप्त समिति का गठन किया जायेगा ।

इसमें सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे और इसमें विभिन्न स्तरों पर तकनीकी, अनुसंधान, आकदमिक, विषय विशेषज्ञ संस्थानों/संगठनों को भी शामिल किया जायेगा। परियोजनाओं को लोक निर्माण संगठनों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों/राज्य पैरास्टेटेलों अथवा एसपीवी /प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा ।

संगठनात्मक तंत्र का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर है :

10. भूमिका और उत्तरदायित्व

स्कीम को निम्नलिखित संस्थागत ढांचे के माध्यम से आयोजना और कार्यान्वयन के लिए बनाया जाएगा:

क.राष्ट्रीय स्तर
1. हृदय-राष्ट्रीय अधिकारप्राप्त समिति (एचएनईसी) :
समिति की सह-अध्यक्षता सचिव, शहरी विकास और संबधित राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य हो सकते है:

• सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन	सदस्य
• सचिव, पर्यटन मंत्रालय	सदस्य
• सचिव, सांस्कृतिक मंत्रालय	सदस्य
• सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार	सदस्य
• संयुक्त सचिव, वित्त, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
• संयुक्त सचिव, स्मार्ट सिटीज, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
• संयुक्त सचिव, मिशन, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
• महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य
• निदेशक, एनआईयूए	सदस्य
• मुख्य नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन	सदस्य
• योजना आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
• संबंधित राज्यों के प्रधान सचिव	सदस्य
• संबंधित यूएलबी के प्रतिनिधि	सदस्य
• मिशन निदेशक	सदस्य-सचिव

*यूनेस्को, विश्व बैंक, आईएनटीएसीएच (इनटेक) अथवा अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे हित धारकों के प्रतिनिधियों तथा विरासत और शहरी योजना क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अध्यक्ष के अनुमोदन से आमंत्रित किया जा सकेगा ।

मुख्य उत्तरदायित्व :

एचएनईसी समग्र मंजूरी, अनुमोदन, मार्गदर्शन और स्कीम के लिए सलाहकार की भूमिका अदा करेगी । इसकी मोटे तौर पर भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निम्नवत हैं:

1) स्कीम का विजन प्रतिपादित करना, रूप-रेखा और मुख्य उद्देश्य तैयार करना । एनईसी विचारों और अन्य उद्देश्यों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच भी प्रदान करेगी ।

2) स्कीम के सभी संचालनों की देखरेख करना तथा समग्र निष्पादन को चलाने, समीक्षा और निगरानी करना । यह समय-समय पर विशिष्ट मार्गदर्शन भी करेगी ।

3) सक्षम ढांचा प्रदान करने और समय के लक्ष्य के प्रति प्रगति की समीक्षा, स्वीकृतियां का पता लगाते रहना और कार्यान्वयन के लिए निधियों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चिता करना ।

4) हृदय और भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत परियोजना/निर्माण कार्य /कार्यकलापों की दोहरी स्वीकृति न होना सुनिश्चित करना ।

5) जरूरत पड़ने पर कार्यान्वयन तंत्र में मध्यावधि-संशोधन संस्तुत करना ।

6) बजट, कार्यान्वयन, धरोहर योजनाओं को तैयार करने सहित स्कीम के कार्यकलापों की तिमाही समीक्षा करना तथा अन्य मिशनों/स्कीमों और विभिन्न मंत्रालय के कार्यकलापों के साथ समन्वय करना ।

7) प्रस्तावित /चल रही परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और समीक्षा

2. मिशन निदेशालयः

मिशन निदेशालय का अध्यक्ष अपर/संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा। मिशन निदेशक के पद की स्वीकृति तक संयुक्त सचिव (निर्माण) मिशन निदेशक के रूप मे कार्य करेंगे। मिशन निदेशक को विभिन्न लोक निर्माण संगठन/सीपीएसयू/राज्य पैरा-स्टेटलों/विशेष प्रयोजन साधनों/प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इन स्कीमों/परियोजनाओं की विरासत प्रबंधन योजनाओ, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, निवेश योजनाओं तथा कार्यान्वयन की तैयारी की गतिविधियों को शुरू करने की शक्ति होगी। इस स्कीम के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न तकनीकी, वित्तीय तथा अन्य संस्थाओं के साथ करार भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) कार्यक्रम के नियमित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए इस निदेशालय को तकनीकी सहायता देगी। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) को इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। एनपीएमयू में विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए निम्न तकनीकी विशेषज्ञ समूह शामिल होगा:

- शहरी नियोजन विशेषज्ञ,
- विरासत संरक्षण वास्तुकार,
- नगरीय अभियंता,

- वित्तीय विशेषज्ञ,
- सूचना प्रौद्योगिकी/एमआईएस विशेषज्ञ और
- अनुसंधान सहयोगी आदि।
- सहायक कर्मचारी जैसे - डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमआईएस विशेषज्ञ, कार्यालय प्रबंधक आदि।

दिशा-निर्देशों के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन, एनपीएमयू से समर्थन के माध्यम से मिशन निदेशालय को सामान्य वित्त नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिकार प्रदान किया जाएगा।

<u>मुख्य दायित्व</u>

यह निम्नलिखित गतिविधियों के लिए व्यापक रूप से उत्तरदायी होगाः

- नगर विरासत प्रबंधन योजना का विकास तथा विस्तृत परियोजना रिर्पोट/कार्यान्वयन योजनाएं और संरचना अनुदान वित्त-पोषण सुनिश्चित करने के लिए राज्य/शहरी स्थानीय निकायों/संस्थानों के साथ सहयोग ।
- विस्तृत परियोजना रिर्पोटों को तैयार करने में सहायता और शहर मुख्य योजनाओं/विकास योजनाओं/विरासत प्रबंधन योजना के साथ अतः संबंध सुनिश्चित करना ।
- प्रस्तावों/डीपीआर का मूल्यांकन और स्वीकृति अथवा निरस्तीकरण के लिए एचएनएसी को अनुशंसा ।
- कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान, संचालनात्मक रूपरेखा तैयार करना, परियोजनाओं की सहज शुरूआत के लिए सहायता प्रदान करना तथा कार्यान्वयन के लिए निधियों का सहज प्रवाह सुनिश्चित करना । परियोजाओं के लिए कार्यान्वयन अवधि इसकी प्रकृति, आकार और विस्तृत परियोजना रिर्पोटों के अनुमोदन पर निर्भर करेगी।
- स्कीम के कार्यक्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन (भौतिक और वित्तीय) प्रगति तथा एमआईएस तथा सूचना प्रारूपों को तैयार करना।
- सभी हितधारकों के साथ समन्वयन और हृदय राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति (एचएनएसी) के साथ योजनाओं, प्रस्तावों, प्रगति, समस्याओं आदि पर सूचना को साझा करना।
- विद्यमान नियमों के अनुसार परियोजाओं का खाता और लेखा परीक्षा सहित वित्तीय प्रबंधन में सहायता।
- वेब आधारित आईईसी तथा पहुंच सामग्री के विकास सहित कार्यशालाओं/सम्मेलनों के माध्यम से प्रतिवृति और प्रचार-प्रसार के लिए अच्छी पद्धतियों तथा ज्ञान का दस्तावेज तैयार करना ।
- संविदा आंकड़ा आधार तैयार करना तथा गुणवत्ता आश्वासन सहित कार्यान्वयन अवधि के दौरान ठेके प्रंबंधित करना।

ख. शहर/शहरी स्थानीय निकाय स्तरः

1. नगर स्तरीय परामर्शदात्री तथा निगरानी समिति (सीएलएएमसी)

हृदय के अंतर्गत नगर स्तरीय परामर्शदात्री तथा निगरानी समिति का गठन किया जाएगा तथा राज्य सरकार इसे अधिसूचित करेगी। इस बैठक का संयोजक जिलाधिकारी/नगर निगम आयुक्त होगा। इसमें सभी हितधारकों के प्रतिनिधि होंगे। इस समिति में चयनित प्रतिनिधि, महापौर, सांसद, विधायक/संबंध विभागों/संस्थानो से अधिकारी/सीवीओ/गैर-सरकारी संगठनो के प्रतिनिधियों सहित सदस्य/हितधारक शामिल होंगे।

<u>मुख्य दायित्व</u>

- नगर स्तरीय परामर्शदात्री और निगरानी समिति (सीएलएएमसी) विचारों, लक्ष्यों और उत्तरदायित्व के विनियम/परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
- स्कीम के निष्पादन का निरीक्षण, समीक्षा और निगरानी । यह समय-समय पर मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र, राज्यों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के मध्य समन्वयन के लिए सुविधा देकर सक्षमकारी रूपरेखा मुहैया कराना।
- स्थानीय समितियों तथा समुदायों के साथ समन्वयन साथ ही साथ परामर्श और सुझाव लेना।
- कार्यान्वयन उपकरणों में जब कभी आवश्यक है मध्यावधि त्रुटि-सुधार की अनुशंसा करना ।

2. मिशन निदेशालय

नगर/शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय मिशन निदेशालय का गठन/अधिसूचित करना राज्य/शहरी स्थानीय निकाय में किया जाएगा। इसका अध्यक्ष वह अधिकारी होगा जो शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/नगर निगम आयुक्त के रैंक से नीचे का न हो। नगर स्तरीय मिशन निदेशालय एक पूर्ण रूपेण परियोजना कार्यान्वयन इकाई होगा जो राष्ट्र स्तरीय मिशन निदेशालय की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करेगा। इस नगर स्तरीय मिशन निदेशालय की भूमिका नगर स्तरीय पीएमयू की सहायता से शहर में प्रभावी ढंग से परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना है। इसे नगर स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई से सहायता प्राप्त होगी। परियोजना प्रबंधन इकाई में निम्नलिखित शामिल होंगेः-

क) नगर नियोजक/नगर डिज़ाइनर

ख) विरासत/संरक्षण विशेषज्ञ

ग) नगर निगम अभियंता

घ) वित्तीय विशेषज्ञ

ड़) समाज और समुदाय विकास व्यावसायिक

च) सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक

छ) सहायक कर्मचारी

<u>मुख्य उत्तरदायित्व</u>

- विरासत प्रबंधन योजना की तैयारी और उसे अंतिम रूप देने में सहयोग देना
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य और कार्यान्वयन एजेंसियों के मध्य समन्वयन हेतु उत्तरदायी।
- सभी हितधारकों तथा निष्पादन एजेंसियों के मध्य परियोजना के सहज कार्यान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करना।
- विभिन्न विस्तृत परियोजना रिपोर्ट घटकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता आश्वासन तथा जांच और यह सुनिश्चित करना कि कार्यस्थल पर निर्माण में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के भाग में प्रदान की गई ड्राइंग और डिजाइन लेआउट का अनुपालन हो रहा है।
- स्थानीय समितियों और समुदायों के साथ समन्वय साथ ही साथ परामर्श और सुझाव मंगाना।
- परियोजनाओं के सामयिक कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करना।

11. परियोजना तैयारी तथा कार्यान्वयन की प्रक्रियाः

परियोजाओं तथा प्रस्तावों के आवश्यक मूल्यांकन और हितधारक परस्पर वार्ता के आधार पर दो चरण हो सकते हैं। ये चरण राष्ट्रीय मिशन निदेशालय और नगर मिशन निदेशालय के स्तर पर हैं।

(क) परियोजना तैयारीः

1) परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों/एचएमपी को हितधारकों की संलिप्तता सहित एचएनईसी के साथ परामर्श और दिशा-निर्देशों के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालने के पश्चात पीडब्ल्यूओ/विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी)/सीपीएसयू/राज्य पैरा-स्टेटलों/प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन निदेशालय/नगर मिशन निदेशालय द्वारा तैयार किया जा सकता है।

2) नगर मिशन निदेशालय विभिन्न परियोजनाओं तथा स्कीमों के अंतर्गत तैयार हृदय घटकों से संबंधित विद्यमान विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को भी हृदय स्कीम के अंतर्गत विचार के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

3) परियोजनाओं का चयन शहर के समग्र विरासत विकास के साथ उनकी संबद्धता के आधार पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर विचार करते हुए किया जाएगा।

4) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य में कोई दुहराव नहीं है तथा धनराशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

5) यह भी प्रमाणित किया जा सकता है कि ऐसी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट किसी अन्य प्राधिकारी को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं की जा रही है। इसलिए प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति और कार्यान्वयन पूर्व मिशन निदेशालयों में तकनीकी तथा वित्तीय रूप में मूल्यांकित किया जाएगा।

6) इस परियोजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र वे होंगे जिन्हें जनगणना 2011 में सम्मिलित किया गया है अथवा राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित टाउनशिप है। जनगणना 2011 में शामिल कस्बों अथवा कस्बा के रूप में वगीकृत ऐसी अधिसूचना/प्रमाणन की प्रति डीपीआर के साथ संलग्न की जाती है।

(ख) <u>परियोजना मूल्यांकन</u>

7) राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा एनपीएमयू की सहायता से विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की जांच की जाएगी ताकि तकनीकी सुदृढ़ता और आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके । राष्ट्रीय मिशन निदेशालय सीपीडब्ल्यूडी,

सीपीएचईईओ और टीसीपीओ जैसे मंत्रालय के तकनीकी खंडों की सेवाएं ले सकता है और / अथवा बाजार से तकनीकी एजेंसियों को भी भाड़े पर रखा जा सकता है । तथापि, इससे उचित कर्मठता के लिए और अपनी तकनीकी एजेंसियों के द्वारा शहर स्तर पर जांच की जरूरत कम नहीं होगी ।

(ग) <u>परियोजना कार्यान्वयन</u>

8) एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के नाते हृदय को शहरी विकास मंत्रालय के समग्र नियंत्रण और निर्देशन में कार्यान्वित किया जाएगा । तथापि, राज्य सरकार से इस स्कीम के निर्माण और कार्यान्वयन संबंधी के महत्वपूर्ण स्तरों पर परामर्श किया जाएगा ।

9) लोक निर्माण संगठन (पीडब्ल्यूओ)/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (सीपीएसयू)/विख्यात राज्य पैरा-स्टेट्ल्स/विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)/गैर-सरकारी संगठन अनुमोदित परि-योजनाओं के लिए कार्यकारी एजेंसियां होंगी । उनका अधिदेश संक्षेप में इस प्रकार होगा :

i. वे मिशन निदेशालयों और शहरी स्थानीय निकायों के परामर्श से सम्पूर्ण परियोजना को तैयार और कार्यान्वित करेंगे ।
ii. डीपीआर को अंतिम रूप देने के पश्चात वे इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय मिशन निदेशालय की तकनीकी और वित्तीय सहमति प्राप्त करेंगे । डीपीआर में परियोजना के पूरा होने के पश्चात किसी विशिष्ट अवधि के लिए परियोजना के रख-रखाव के लिए विशिष्ट प्रावधान होगा ।
iii. कार्यकारी एजेंसियां डिजाइन और जांच में सहायता करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शी फर्मों/परामर्शदाताओं और परियोजना के कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण के लिए संविदीय एजेंसियों को भाड़े पर रख सकता है ।
iv. वे परियोजना के डिजाइन की संकल्पना और कार्यान्वयन में मिशन निदेशालयों राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित तकनीकी संस्थानों को शामिल / सूचित करेगें ।
v. परियोजना की अवधि के दौरान हितधारकों और नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा ।

vi. सभी परियोजनाओं को निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और किसी बढ़ी हुई लागत/समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vii. परियोजना की सफल पूर्णता के पश्चात संबंधित विभाग / शहरी स्थानीय निकाय को परियोजना को सौंपने से पहले किसी विशिष्ट अवधि के लिए इसे बनाया रखा जाए ।

10) राष्ट्रीय मिशन निदेशालय इस स्कीम के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए निष्पादन एजेंसी का निर्णय करेगा । इस स्कीम के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों / परियोजनाओं के निष्पादन की मानीटरिंग के लिए पृथक परियोजना समीक्षा समिति बनाई जाएगी । स्कीम के अंतर्गत अलग-अलग निर्माण कार्यों/परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले विख्यात लोक निर्माण विभाग /सीपीएसयू/राज्य पैरा-स्टेट्लों/एसपीवी/गैर सरकारी संगठनों को शुरू में अग्रिम के रूप में और बाद में पूर्ति मासिक आधार पर वास्तविक व्यय के अनुसार निधियां जारी की जाएंगी । कार्यकारी एजेंसी सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता आश्वासन सहित परियोजना/कार्य के समय पर कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी । वही एजेंसी जो परिसंपत्तियों को सृजित करेगी, सृजित परिसंपत्तियों का रख-रखाव करने के लिए उत्तरदायी होगी । कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा स्कीम के अंतर्गत निर्माण-कार्यों/परियोजनाओं की विस्तृत योजना और डीपीआर को डिजाइन/तैयार करने के लिए विशेषज्ञों / परामर्शदाताओं को लगाया जा सकता है ।

12. <u>परियोजनाओं का निधिकरण :</u>

शहरी विकास मंत्रालय कार्यकारी एजेंसियों को निधियां जारी करेगा । हृदय के पास उपलब्ध परियोजना निधि के कुल वार्षिक आबंटन में से निधियों के संवितरण का ब्यौरा इस प्रकार होगा :

क्रम सं.	घटक	कुल निधियों का %
1	हृदय प्रायोगिक शहर परियोजना कार्यान्वयन	85%
2	शहरी विकास मंत्रालय/शहर में एनपीएमयू/शहर पीएमयू संस्थापना और प्रचालनीकरण	3%
3	धरोहर शहरों के लिए क्षमता विकास	3%
4	डीपीआर और विकास/प्रबंधन योजनाएं	4%
5	सूचना, शिक्षा और संचार	4%

6	ए. एंड ओ. ई.	1%

इस स्कीम में निधियों की मंजूरी की शक्तियां पूरी तरह से स्वीकृत सामान्य वित्त नियमों और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप होंगी । सृजित परिसम्पत्ति के परिसम्पत्ति प्रबंधन पर ओ.एंड एम. व्यय स्वीकार्य होगा । शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को निधियां जारी की जाएंगी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

1. परियोजना के अनुमोदन पर 20% (पहली किस्त)
2. परियोजना की 20% वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर 60% (दूसरी किस्त)
3. परियोजना की 60% वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर 20% (तीसरी किस्त)

चूंकि वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धियों के अनुसार बेस लाइन/बेंचमार्क परियोजना पर परियोजना भिन्न-भिन्न होती हैं, इसलिए इनकी पुष्टि विशिष्ट परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय की जाएगी ।

13. अतिरिक्त संसाधन :

मिशन निदेशालय आगे शहरों, राज्यों और उत्कृष्ट संस्थानों के भीतर प्रशिक्षण संवर्धन अन्तर सम्पर्कों समेत क्षमता निर्माण कार्यकलाप शुरू करेगा । इसके लिए परामर्शिकाएं और टूलकिटें जारी की जाएंगी । धरोहर शहरों के विकास के लिए विश्व बैंक, यूनेस्कों, शहर गठबंधन, यू एन हैबिटेट, पर्यावरण और वन मंत्रालय, हुपा, संस्कृति, पर्यटन जैसे अन्य हित धारकों के साथ समन्वय को पुन: अनुप्रमाणित किया जाएगा । स्कीम का उद्देश्य भारत में आर्थिक कार्यकलापों और इसके पुनरूद्धार से शहरी विरासत के एकीकरण की मान्यता के लिए फाउन्डेशन कार्य शुरू करना होगा ।

निजी निधिकरण के लिए भी प्रावधान है जहां पर निजी हस्तियों द्वारा हृदय स्कीम के अंतर्गत प्रबंधन और सेवाएं शुरू की जा सकती हैं जो इन परियोजना से सीधे अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं । स्कीम कार्यान्वयन की किसी भी अवस्था अर्थात् योजना और डिजाइन, निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन, सेवा प्रदायगी इत्यादि के लिए उपयोगकर्ता शुल्क/प्रभार की अवस्था पर निजी निधि अधिप्राप्त की जा सकती है ।

14. उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

1) परियोजना निष्पादन एजेंसियों (एनबीसीसी अथवा राज्य एजेंसी अथवा विख्यात गैर-सरकारी संगठन जैसी कोई केन्द्रीय एजेंसी) के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन निदेशालय मूल परियोजना प्रस्ताव में दिए गए कार्यान्वयन कार्यक्रम के आधार पर उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी होगा । किसी भी स्थिति में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में 100 % उपयोगिता प्रमाण-पत्र परियोजना के पूरा होने के 6 महीने के अन्दर प्रदान किए जाने होंगे ।

2) लोक निर्माण कार्यालय/सीपीएसयू/राज्य पैरा-स्टेट्ल/एसपीवी/विख्यात गैर-सरकारी संगठनों द्वारा केवल इस परियोजना पर व्यय किए जाने के पश्चात् ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे । ये उपयोगिता प्रमाण-पत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट/लेखा-परीक्षित लेखों द्वारा प्रमाणित व्यय विवरण सहित प्रस्तुत किए जाएंगे ।

3) यदि कार्यकारी एजेंसी केन्द्र सरकार/सक्षम अधिकारी है, तो उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित स्थानीय निकाय के नगर आयुक्तों, महाप्रबंधक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने चाहिए ।

4) केवल उपयोगिता प्रमाण-पत्र और परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की प्राप्ति के पश्चात् ही आगे की किस्तों को जारी करने की संस्तुति की जाएगी ।

15. <u>हृदय स्कीम के परिणाम</u>

हृदय के अंतर्गत परिकल्पित विशिष्ट परिणाम इस प्रकार हैं :

- साफ और परिष्कृत साफ-सुथरा पर्यावरण
- मौजूदा और सामने आ रहे पर्यटक स्थल और गेटवे पर उन्नत बुनियादी शहरी अवस्थापना ;
- पर्यटकों के लिए सुविधा और सुरक्षा सहित प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटक आकर्षणों पर उन्नत सफाई मानक;
- उपयुक्त रूप से संरक्षित, पुन: अनुप्रमाणित और सौन्दर्यीकृत विरासत स्मारक;
- स्थानीय समुदायों द्वारा पर्यटन संबंधित आर्थिक और आजीविका संबंधी कार्यकलापों में और अधिक सहभागिता;
- शहर प्रणालियों और शहर अर्थव्यवस्था से विरासत संबंधी संसाधनों को मुख्य धारा में लाया जाता है ।

- शहरी सेवा प्रदायगी के लिए सेवा स्तरीय बेंच मार्कों में सुधार
- शहरों में पर्यटक के आने में वृद्धि
- कस्बे में पर्यटक के ठहरने की अवधि में वृद्धि
- सामाजिक सुरक्षा में सुधार और अपराध में कमी
- स्थानीय अर्थव्यवस्था और इसके समुदायों की जीवन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार

16. <u>हृदय के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग</u>

- शहरी विकास मंत्रालय समय-समय पर नामित अधिकारियों के माध्यम से स्कीम को मॉनीटर करेगा ।
- एनपीएमयू परियोजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों की कारगर मॉनीटरिंग के लिए मिशन निदेशालयों की सहायता करने हेतु मॉनीटरिंग ढांचों और साधनों को विकसित करेगा ।
- राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा परियोजना/स्कीम की प्रगति की खोज-खबर रखने के लिए तृतीय पक्ष मॉनीटरिंग तंत्र लगाया जाएगा । इस संबंध में व्यय को शहरी विकास मंत्रालय में व्यावसायिक सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण निधियों से पूरा किया जाएगा ।

अनुलग्नक- I

कार्यान्वयन कार्यढांचा

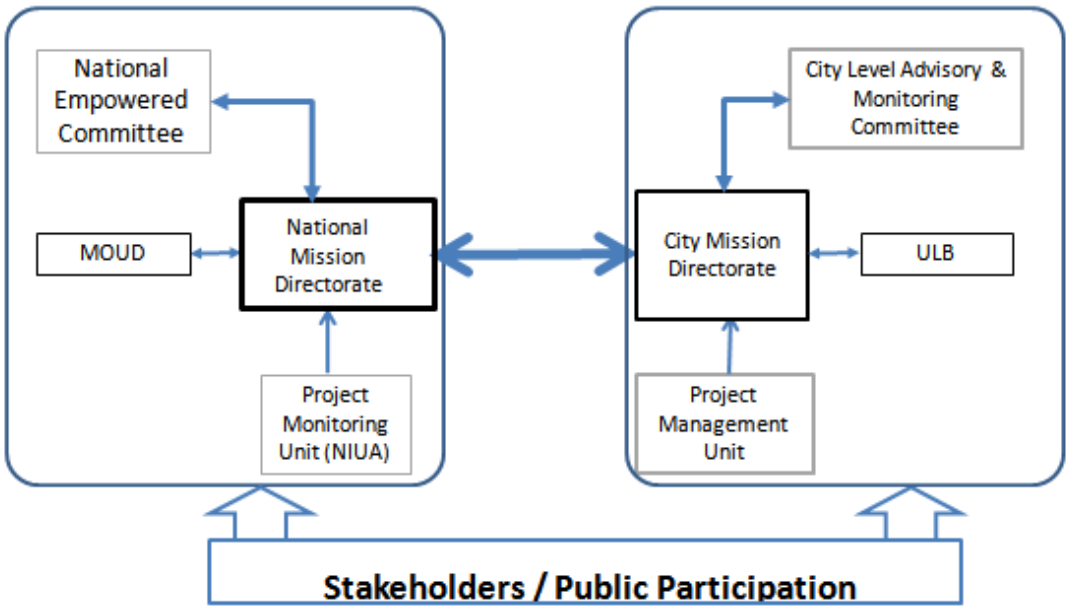

हितधारक/सार्वजनिक भागीदारी